न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा
(पीठासीन अधिकारी दीप्ति रामचन्द्र मीना, आर.ए.एस.)

अपील संख्या 2024/89 **दायरा दिनांक : 01.07.2024**

उनवान

प्रेमबाई आयु 74 वर्ष पुत्री श्री गोप्या पत्नि श्री सूरजमल, जाति मीणा, निवासी ग्राम माथनी, तहसील व जिला बारां राज०

.... अपीलांट

बनाम

1. बिरधीलाल आयु 77 वर्ष पुत्र स्व० श्री गोप्या, जाति मीणा
2. बंजरगलाल आयु 64 वर्ष पुत्र स्व० श्री गोप्या ,जाति मीणा
3. श्री लाल आयु 72 वर्ष पुत्र स्व० श्री गोप्या, जाति मीणा
4. रामकल्याण आयु 67 वर्ष पुत्र स्व० श्री गोप्या, जाति मीणा
5. रामचन्द्र आयु 61 वर्ष पुत्र स्व० श्री गोप्या, जाति मीणा
   निवासीगण ग्राम खेडली भैडोलिया तहसील व जिला बारां राज०
6. कैलाश बाई आयु 70 वर्ष पत्नि श्री रामकुंवार, जाति मीणा, निवासी ग्राम खेडली भैडोलिया, तहसील व जिला बारां राज०
7. चन्द्रकलां आयु 50 वर्ष पुत्री श्री रामकुंवार पत्नि श्री आशकरण, जाति मीणा, निवासी ग्राम देवखेडली, तहसील पीपल्दा, जिला कोटा राज०
8. रुकमणी आयु 42 वर्ष पुत्री श्री रामकुंवार पत्नि श्री कालू, जाति मीणा, निवासी ग्राम झौपडीया (कलमण्डा) तहसील व जिला बारां राज0
9. कलावती उर्फ कालीबाई, आयु 48 वर्ष पुत्री श्री रामकुंवार पत्नि श्री घनश्याम, जाति मीणा, निवासी ग्राम रिझियां, तहसील मांगरोल, जिला बारां राज०
10. सोहन बाई आयु 42 वर्ष पत्नि श्री राजेन्द्र कुमार, जाति मीणा, निवासी ग्राम खेडली भैडोलिया तहसील व जिला बारां राज०
11. दिलखुश उर्फ आशिष आयु 24 वर्ष पुत्र श्री राजेन्द्र कुमार, जाति मीणा, निवासी ग्राम खेडली भैडोलिया तहसील व जिला बारां राज०
12. अकिंत आयु 22 वर्ष पुत्र श्री राजेन्द्र कुमार, जाति मीणा, निवासी ग्राम खेडली भैडोलिया तहसील व जिला बारां राज०
13. रामप्रसाद आयु 66 वर्ष पुत्र श्री रामप्रताप जाति मीणा
14. (मृतक) हरिमोहन पुत्र श्री रामप्रताप जाति मीणा
    14/1 राजेश आयु 27 पुत्री श्री हरिमोहन, जाति मीणा
15. (मृतक) लालचन्द पुत्र श्री रामप्रताप, जाति मीणा
    15/1. निर्मल आयु 18 वर्ष पुत्र श्री लालचन्द, जाति मीणा
    15/2. सूरज आयु 20 वर्ष पुत्र श्री लालचन्द, जाति मीणा
16. नंदकिशोर आयु 48 वर्ष पुत्र श्री रामप्रताप, जाति मीणा
17. हेमराज उर्फ छोट्या आयु 46 वर्ष पुत्र श्री रामप्रताप, जाति मीणा
18. बच्ची बाई आयु 75 वर्ष पत्नि श्री रामप्रताप, जाति मीणा
    निवासीगण ग्राम खेडली भैडोलिया तहसील व जिला बारां राज0
19. बलराम आयु 47 वर्ष पुत्र श्री तुलसीराम, जाति मीणा
20. सौभागमल आयु 45 वर्ष पुत्र श्री तुलसीराम, जाति मीणा
21. चन्द्रकलां आयु 69 वर्ष पत्नि श्री तुलसीराम, जाति मीणा निवासीगण ग्राम खेडली भैडोलिया, तहसील व जिला बारां राज०
22. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, बारां जिला बारां राज०

.... रेस्पोडेंट

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

यह अपील अन्तर्गत धारा 223
राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित – श्री धर्मेन्द्र चौधरी अभिभाषक अपीलांट की ओर से
श्री सुरेन्द्र कुमार मीणा अभिभाषक रेस्पोडेंट नं. 1 लगायत 5 की ओर से,
शेष रेस्पोडेंटगण अनुपस्थित।

निर्णय **दिनांक : 15.01.2025**

यह अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बारां के प्रकरण संख्या – 120/2012 निर्णय व अंतिम डिक्री दिनांक 02.11.2021 से अप्रसन्न होकर पेश की गई है।

अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय में वादीगण/रेस्पोडेंट नं. 1 लगायत 5 एवं अपीलांट ने एक वाद अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 पेश किया और यह कथन किया कि ग्राम खेडली भेडोलिया, तहसील बारां में आराजियात खसरा नम्बर 8 को रकबा 0.79 हेक्टर, किस्म नहरी द्वितीय लगानी 22.12 रूपया, खसरा नम्बर 33 की रकबा 0.73 हेक्टर, किस्म नहरी प्रथम लगानी 26.28 रूपया, खसरा नम्बर 35 को रकबा 0.96 हेक्टर, किस्म नहरी प्रथम लगानी 34.56 रूपया, खसरा नम्बर 47 की रकबा 0.30 हेक्टर, किस्म चाही द्वितीय लगानी 10.80 रूपया, खसरा नम्बर 54 की रकबा 0.08 हेक्टर, किस्म चाही द्वितीय लगानी 2.88 रूपया, खसरा नम्बर 55 की 0.09 हेक्टर, किस्म चाही द्वितीय लगानी 2.52 रूपया, खसरा नम्बर 104 की रकबा 0.92 हेक्टर, किस्म नहरी प्रथम लगानी 33.12 रुपया, खसरा नम्बर 105 की रकबा 0.81 हेक्टर, किस्म नहरी प्रथम लगानी 29.16 रूपया, खसरा नम्बर 118 की रकबा 0.91 हेक्टर, किस्म लगानी 32.76 रूपया, खसरा नम्बर 149 की रकबा 0.71 हेक्टर, किस्म नहरी द्वितीय, लगानी 19.88 रूपया, खसरा नम्बर 169 की रकबा 0.10 हेक्टर, किस्म बीड लगानी 0.60 रुपया, खसरा नम्बर 170 की रकबा 0.46 हेक्टर, किस्म बीड लगानी 2.76 रूपया, खसरा नम्बर 174 रकबा 0.19 हेक्टर, किस्म बीड लगानी 1.14 रूपया, खसरा नम्बर 175 की रकबा 0.12 हेक्टर, किस्म बीड लगानी 0.72 रूपया, खसरा नम्बर 176 की रकबा 0.08 हेक्टर, किस्म बीड लगानी 0.48 रूपया, व खसरा नम्बर 261 की रकबा 0.19 हेक्टर, किस्म चाही द्वितीय लगानी 6.84 रूपया, खसरा नम्बर 395 की रकबा 1.16 हेक्टर, किस्म माल द्वितीय लगानी 12.75 रूपया, खसरा नम्बर 396 रकबा 0.91 हेक्टर, किस्म माल द्वितीय लगानी 10.01 रूपया, खसरा नं. 397 की रकबा 0.94 हेक्टर, किस्म माल द्वितीय लगानी 10.34 रूपया, कुल 19 रकबा 10.45 हेक्टर रूपया लगानी 260.09 रूपया स्थित है। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बारां ने अपने निर्णय व अंतिम डिक्री दिनांक 02.11.2021 से आराजी का मुताबिक विभाजन प्रस्ताव अनुसार पक्षकारान के मध्य पृथक पृथक विभाजन किया गया जिससे अप्रसन्न होकर अपीलांट ने यह अपील पेश की।

अपील में अपीलांट ने कथन किया है कि अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट कम 1 ता 5 ने रेस्पोडेन्ट कम 6 ता 22 के विरूद्ध अधीनस्थ न्यायालय मे एक वाद बउनवान बिरधीलाल वगैरा बनाम कैलाश बाई अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 प्रकरण संख्या 120/2012 प्रस्तुत किया था जिसमें अपीलान्ट वादिया कम 6 के तौर पर पक्षकार हैं। उक्त प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय हाजा द्वारा दिनांक 27.02.2013 को निर्णय व

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन

प्रारम्भिक डिक्री पारित करते हुये आदेश दिया है कि वाद वादी स्वीकार किया जाकर विवादित आराजी ग्राम खेडली भेडोलिया, तहसील बारां की कुल 19 किता रकबा 10.45 हेक्टर में वादीगण 1 ता 6 का 1/2 हिस्से का बंटवारा कर पृथक खाते दर्ज करने एवं पृथक लगान निर्धारण के आदेश दिये जाते हैं। तहसीलदार बारां से वादीगण का उनके हिस्से अनुरूप बंटवारा उनके को काश्त को प्राथमिकता के आधार पर कर बंटवारा प्रस्ताव प्रेषित करने के निर्देश दिये जाते है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त निर्णय व प्रारम्भिक डिक्री दिनांक 27.02.2013 पारित करने के पश्चात दिनांक 02.11.2021 को तहसीलदार बारां द्वारा राजस्व केम्प ग्राम तिसाडिया में विभाजन प्रस्ताव पेश करने पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा त्रुटिपूर्ण रूप से अपीलान्ट का नाम निर्णय आदेशिका व अन्तिम डिक्री में वर्णित विभाजन प्रस्ताव में विलोपित करते हुये निर्णय व अन्तिम डिक्री दिनांक 02.11.2021 पारित की गयी है जिसकी अप्रसन्नता से यह अपील माननीय न्यायालय ने पेश की जा रही है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अन्तिम डिक्री व निर्णय दिनांक 02.11.2021 खिलाफ कानून होने से काबिल खारजा है। अधीनस्थ न्यायालय ने पत्रावली पर मौजूद राजस्व रिकार्ड एवं दस्तावेजात का कानून के अनुसार विवेचन न करके उक्त अन्तिम डिक्री दिनांक 02.11.2021 पारित करने मे भारी भूल की है। अस्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अन्तिम डिक्री व निर्णय न्याय के सर्वमान्य नियमों व सिद्वान्तों के विरूद्ध होने से निरस्तनीय हैं । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय व प्रारम्भिक डिक्री दिनांक 27.02.2013 पारित करने के पश्चात उक्त प्रकरण दिनांक 27.02.2013 से दिनांक 02.11.2021 तक लगातार विभाजन प्रस्ताव पेश करने हेतु तारीख पेशियों में चलता रहा एवं दिनांक 02.11.2021 को ग्राम लिसाडिया राजस्व केम्प प्रशासन गांव के संग अभियान में तहसीलदार बारां द्वारा विवादित आराजी के मौके पर जाये बिना व वाद के पक्षकारों की गैर मौजूदगी में राजस्व मण्डल के नियम 18 ता 20 में वर्णित प्रावधानों की अनदेखी कर वाद के पक्षकारान के मध्य आराजी के विभाजन का प्रस्ताव अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत कर दिया है। इस कारण अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित उक्त अन्तिम डिक्री व निर्णय न्याय के स्वीकृत सिद्धान्तों से परे होने से काबिल खारिज होने योग्य है।

अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय व प्रारम्भिक डिक्री दिनांक 27.02.2013 पारित करने के पश्चात दिनांक 02.11.2021 को तहसीलदार बारां द्वारा राजस्व केम्प ग्राम लिसाडिया में विभाजन प्रस्ताव पेश करने पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा त्रुटिपूर्ण रूप से निर्णय आदेशिका दिनांक 02.11.2021 में प्राप्त विभाजन प्रस्ताव अनुरूप वादीगण व प्रतिवादीगण को प्राप्त आराजी का आलेखन करते समय अपीलान्ट/वादिया कम 6 का नाम विलोपित करते हुये अन्तिम डिक्री दिनांक 02.11.2021 पारित कर दी है तथा अन्तिम डिक्री में अपीलान्ट का नाम आराजी के विभाजन में अंकित नहीं किया गया है जिस कारण विवादित आराजी में उक्त अन्तिम डिक्री की पालना में विवादित आराजी के राजस्व रेकार्ड जमाबन्दी में उक्त अन्तिम डिक्री की पालना में अमल दरामद होने पर अपीलान्ट के खातेदारी अधिकारों पर विपरीत प्रभाव पडने की पूरी संभावना है। जबकि कानूनन अपीलान्ट विवादित आराजी की सहखातेदार व वाद पत्र में वादिया कम 6 के तौर पर संयोजित हैं तथा तहसीलदार बारां द्वारा प्रस्तुत बंटवारा प्रस्ताव दिनांक 02.11.2021 में अपीलान्ट को रेस्पोडेन्ट कम 1 ता 5 के साथ दर्शाकर संयुक्त में आराजी का विभाजन कर विभाजन प्रस्ताव अधीनस्थ न्यायालय में पेश किया गया हैं, परन्तु इसके बावजूद भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त तथ्यों पर गोर न करके अपीलान्ट का नाम अन्तिम डिक्री

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

में वर्णित आराजी के विभाजन प्रस्ताव से विलोपित कर अपीलान्ट के साथ भारी अन्याय किया है। अस्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व अन्तिम डिक्री काबिल खारजा है।

अतः अपील पेश कर निवेदन है कि अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अन्तिम डिक्री व निर्णय दिनांक 02.11.2021 बउनवान मुकदमा बिरधीलाल वगैराह बनाम कैलाशबाई वगैराह दावा धारा 53 आर० टी० एक्ट वाद संख्या 120/2012 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बांरा जिला बांरा, राज० को निरस्त कर पुनः प्रकरण को रिमाण्ड फरमाया जाकर पुनः कानून सम्मत विधि अनुरूप निर्णय पारित कर अन्तिम डिक्री व निर्णय पारित करने के आदेश अधीनस्थ न्यायालय को प्रदान करने की कृपा करें ।

अपील के साथ धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर यह कथन किया गया है कि अपीलाधीन निर्णय की जानकारी दिनांक 20.06.2024 को हुई। जानकारी की तिथि से अपील अवधि मध्य है। अतः विलम्ब का शमन किया जाये।

अपील प्राप्त होने पर सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर की गई। नोटिस जारी किये गये। बहस उभयपक्षीय सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अपीलांट व रेस्पोडेंट क्रम 1 ता 5 ने धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 का दावा अधीनस्थ न्यायालय में पेश किया जिस पर अधीनस्थ न्यायालय ने वादी का वाद स्वीकार कर निर्णय व प्रारम्भिक डिक्री दिनांक 27.02.2013 को पारित की गई जिस पर कोई विवाद नहीं है। वर्ष 2013 से 2021 तक बंटवारा प्रस्ताव अप्राप्त रहा। अधीनस्थ न्यायालय की आदेशिका दिनांक 16.08.2021, आगामी तारीख पेशी दिनांक 01.10.2021 को कोई सुनवाई नहीं हुई। दिनांक 02.11.2021 को लसाडिया कैम्प में बिना सूचना के तहसीलदार से बंटवारा प्रस्ताव प्राप्त कर निर्णय पारित कर दिया। बंटवारा प्रस्ताव पर हमें आपत्ति प्रस्तुत करने का अवसर नहीं दिया गया और ना ही बंटवारा प्रस्ताव पर हमारे हस्ताक्षर हैं। वादग्रस्त आराजी का 1/2 हिस्सा दिया जाना था कुल रकबा 10.45 हेक्टर का 5.22 हेक्टर होता है। बंटवारे में हमें 4.14 हेक्टर आराजी दी गई जो लगभग 1 हेक्टर आराजी कम दी गई है। राजस्व मण्डल के नियम 18 से 21 की पालना नहीं की गई है। अधीनस्थ न्यायालय ने अंतिम डिक्री में वादी क्रम 6 का पक्षकारान में नाम है परन्तु बंटवारे में नाम नहीं है। दिनांक 02.11.2021 की आदेशिका में भी प्रेमबाई का नाम नहीं है, इसकी पालना यदि हो जाती है तो हमारा नाम जमाबंदी में दर्ज नहीं होगा। अतः पुनः बंटवारा प्रस्ताव प्राप्त कर पुनः निर्णय हेतु रिमाण्ड किया जाये।

विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेंट ने कथन किया कि वादग्रस्त आराजी का बंटवारा हमारी बिना सहमति से हुआ है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अंतिम डिक्री में प्रेमबाई का नाम नहीं है। यदि प्रकरण को रिमाण्ड किया जाता है तो हमें कोई आपत्ति नहीं है।

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अपीलांट के लायक अधिवक्ता ने सर्वप्रथम अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब अवधि को क्षम्य किये जाने का निवेदन किया । हमने अपीलांट द्वारा प्रस्तुत भारतीय मियाद अधिनियम की धारा 5 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र व शपथ पत्र का अवलोकन किया एवं उभयपक्ष के लायक अधिवक्ता की बहस पर मनन किया। अतः अपीलांट द्वारा प्रस्तुत भारतीय मियाद अधिनियम की धारा 5 का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है।

हमने उभयपक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली एवं प्रस्तुत अपील के विवादित तथ्यों का गहनता से अवलोकन किया। अपीलांट ने अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं अंतिम डिक्री दिनांक 02.11.2021 से अप्रसन्न होकर यह अपील प्रस्तुत की है। अपीलांट का कथन है कि अपीलांट एवं रेस्पोडेंट कम 1 ता 5 ने अधीनस्थ न्यायालय में विवादित आराजी का बंटवारा कराने हेतु वाद प्रस्तुत किया था जिसमें अपीलांट वादिया कम 6 के तौर पर पक्षकार है। उक्त प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री दिनांक 27.02.2013 से वादीगण का वाद स्वीकार कर विवादित आराजी कुल 19 किता रकबा 10.45 हेक्टर में वादीगण 1 ता 6 के 1/2 हिस्से का बंटवारा कर पृथक खाते दर्ज करने एवं पृथक लगान निर्धारण का आदेश जारी किया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जारी प्राथमिक डिक्री से अपीलांट सहमत है परन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व अंतिम डिक्री दिनांक 02.11.2021 के विरूद्ध आपत्ति करते हुए मुख्य रूप से अपीलांट ने यह कथन किया कि दिनांक 02.11.2021 को तहसीलदार बारां द्वारा राजस्व कैम्प प्रशासन गांव के संग अभियान में विवादित आराजी के मौके पर जाये बिना व वाद के पक्षकारों की गैर मौजूदगी में राजस्व मण्डल के नियम 18 से 21 में वर्णित प्रावधानों की अनदेखी कर वाद के पक्षकारान के मध्य आराजी का विभाजन कर प्रस्ताव अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत कर दिया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा त्रुटिपूर्ण रूप से अपने निर्णय दिनांक 02.11.2021 में प्राप्त विभाजन प्रस्ताव के अनुरूप वादीगण व प्रतिवादीगण को प्राप्त आराजी का आलेखन करते समय अपीलांट/वादिया कम 6 का नाम विलोपित करते हुए अंतिम निर्णय दिनांक 02.11.2021 पारित कर दिया तथा अंतिम डिक्री में भी अपीलांट का नाम आराजी के विभाजन में अंकित नहीं किया गया है। राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी में उक्त अंतिम डिक्री की पालना में अमल दरामद होने पर अपीलांट के खातेदारी अधिकारों पर विपरीत प्रभाव पडने की पूरी संभावना है। जबकि कानूनन अपीलांट विवादित आराजी की सहखातेदार व वाद पत्र में वादिया कम 6 के तौर पर संयोजित हैं तथा तहसीलदार बारां द्वारा प्रस्तुत बंटवारा प्रस्ताव दिनांक 02.11.2021 में भी अपीलांट को रेस्पोडेंट कम 1 ता 5 के साथ सहखातेदार दर्शाकर ही आराजी का विभाजन कर विभाजन प्रस्ताव अधीनस्थ न्यायालय में पेश किया है परन्तु इसके बावजूद भी अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त तथ्यों पर गौर न करके अपीलांट का नाम अंतिम डिक्री में वर्णित आराजी के विभाजन प्रस्ताव से विलोपित कर अपीलांट के साथ भारी अन्याय किया है। अपीलांट द्वारा अपील में अंकित उक्त तथ्यों की पुष्टि अधीनस्थ न्यायालय की

(दीपि समचन्द्र मीना)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

पत्रावली से होना पाया गया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में सलंग्न जमाबंदी सम्वत 2066–2069 में अपीलांट प्रेमबाई पुत्री गोप्या का नाम अन्य सहखातेदारों के साथ दर्ज रिकॉर्ड है। इसी प्रकार तहसीलदार द्वारा प्रस्तुत बंटवारा प्रस्ताव में भी अपीलांट प्रेमबाई पुत्री गोप्या का नाम रेस्पोडेंट कम 1 ता 5 के साथ विवादित आराजी के 1/2 हिस्से में अंकित है परन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने दिनांक 02.11.2021 को पारित निर्णय व अंतिम डिक्री से बिना कोई कारण अंकित किये अपीलांट वादिया का नाम विलोपित कर दिया है। इसी प्रकार रेस्पोडेंट कम 1 ता 5 ने भी अपनी बहस में प्रकरण को रिमाण्ड करने में कोई आपत्ति नहीं होना अवगत कराया है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व अंतिम डिक्री दिनांक 02.11.2021 अपास्त किया जाता है। प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस दिशा निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि अपीलांट को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करें। उभयपक्षकारान को पाबन्द किया जाता है कि वे अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 21.04.2025 को उपस्थित होवे।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

15/01/2025

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा